

145




# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 313 ]  
No. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 1998/श्रावण 30, 1920  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 1998/SRAVANA 30, 1920

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998

सा.का.नि. सं. 506 (अ).—केन्द्रीय सरकार दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा, दमन और दीव लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1986 का 1987 का गोवा अधिनियम 10 का, जैसा कि वह इस अधिनियम की तारीख को गोवा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. गोवा, दमन और दीव लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1986 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो संपूर्ण अधिनियम में—

- (क) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) धारा 1 की उपधारा (1) को छोड़कर "इस अधिनियम में" शब्दों के पश्चात् "संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली से यथाविस्तारित" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;
- (ग) "भू-राजस्व की बकाया" शब्दों के पश्चात् "दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व, प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक में 2) के उपबंधों के अधीन" शब्द और अंक अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

2. धारा 1 में,—

- (क) उपधारा (1) में, "1986" अंकों के पश्चात् "संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली में यथाविस्तारित" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

- (ख) उपधारा 2 में, "गोवा, दमन और दीव" शब्दों के स्थान पर, "दादरा और नागर हवेली" शब्द रखे जाएंगे।
- (ग) उपधारा (3) में "सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

3 धारा 2 में—

- (क) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली का प्रशासक अभिप्रेत है"।
- (ख) खंड (छ) में, स्पष्टीकरण के मद (ii) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।
- (ग) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) राज्यपत्र "से दादरा और नागर हवेली का राजपत्र अभिप्रेत है।"

उपाबद्ध

संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली में यथा—विस्तारित गोवा, दमन और दीव लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1986 (1987 का गोवा अधिनियम 10) राज्य सरकार, सरकारी कंपनी और राष्ट्रीयकृत तथा और अन्य बैंकों द्वारा अर्जित और नियंत्रित राज्य सरकार, वित्तीय निगमों और अन्य निगमों को प्रदाय कुछ श्रेणियों को देय की शीघ्र वसूली के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के संसदीय वर्ष में गोवा, दमन और दीव विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :—
- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित गोवा, दमन और दीव लोक धन (देय की

वसूली) अधिनियम, 1986 है।

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर होगा।
- (3) यह उस तारीख को, जो प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमन की जाए, प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :—दादरा और नागर हवेली में यथाविस्तारित इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है ;
- (कक) "कृषि" में उद्यान कृषि, फसलों को उगाना, घास अथवा उद्यान उत्पाद, पशु पालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग, पशुधन प्रजनन सम्मिलित है।
- (ख) "बैंक" से अभिप्रेत है :—
- (1) बैंक विनियम अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित;
- (2) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;
- (3) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक;
- (4) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक;
- (5) बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंकिंग संस्था;
- (6) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बैंक के रूप में प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई कोई अन्य वित्तीय संस्था ;
- (ख) "कलक्टर" से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसमें प्रशासक द्वारा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कलक्टर के सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है।
- (ग) "निगम" से इस संघ राज्य क्षेत्र में स्थित अथवा कार्य कर रहे वित्तीय निगम अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार अथवा प्रशासक द्वारा अर्जित और नियंत्रित अन्य कोई निगम जिसे प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, भी सम्मिलित है।
- (घ) "वित्तीय सहायता" से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अभिप्रेत है जो :—
- (i) किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, नवीकरण अथवा चलाने के लिए, अथवा
- (ii) व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए; अथवा
- (iii) कृषि अथवा कृषि उद्योग के विकास के लिए; अथवा
- (iv) प्रशासक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रकार के योजनाबद्ध विकास के लिए; अथवा
- (v) अग्निकारित आपदा अथवा भयंकर सूखा, बाढ़

अथवा अन्य प्राकृतिक विपदाओं के विरुद्ध राहत के लिए; अथवा

(vi) सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम को चलाने के प्रयोजन के लिए ; अथवा

(vii) किसी अन्य विहित प्रयोजन के लिए दी गई।

(ङ) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 817 के अधीन यथापरिभाषित सरकारी कंपनी

(च) "औद्योगिक समुत्थान" का वह अर्थ होगा जो इस पद को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में नियत किया गया है।

(छ) "औद्योगिक उपक्रम" में माल के विनिर्माण, संरक्षण, भण्डारण या प्रसंस्करण अथवा विद्युत अथवा अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन अथवा वितरण या भूमि के संलग्न क्षेत्र का औद्योगिक सम्पदा के रूप में विकास के लिए कोई उपक्रम भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण :—"माल के संस्करण" पद में किसी सामग्री को शारीरिक रासायनिक वैद्युत अथवा किसी अन्य समान प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु के निर्माण, मरम्मत, बनाने का कोई कार्य अथवा प्रक्रिया सम्मिलित है।

(i) "विहित" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ii) "सरकार प्रायोजित स्कीम" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जो प्रशासक अथवा प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कृषि अथवा उद्योग के विकास के लिए प्रायोजित अथवा अंगीकृत की गई है और जो दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रशासक अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसी रूप में अधिसूचित की गई है।

(ज) "राजपत्र" से दादरा और नागर हवेली राजपत्र अभिप्रेत है।

(3) दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली—

(1) जहां कोई व्यक्ति पक्षकार है—

(क) किसी ऐसे समझौते का जो ऋण, अग्रिम राशि अथवा प्रशासक, निगम अथवा यथास्थिति द्वारा उसे विक्रय किए गए माल के अवक्रय से संबंधित या उसके लिए दिए गए प्रत्यय संबंधी दिए गए अनुदान से संबंधित है, सरकारी कंपनी वित्तीय सहायता द्वारा, अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन

(ख) "किसी ऐसे समझौते का जो ऋण, अग्रिम राशि अथवा बैंक या सरकारी कम्पनी, यथास्थिति, ऐसे विक्रय किए गए माल के अवक्रय से संबंधित या उसके लिए दिए गए प्रत्यय से संबंधी दिए गए अनुदान से संबंधित है :

(ग) किसी ऐसे समझौते का जो किसी औद्योगिक समुत्थान द्वारा एकत्रित किए गए ऋण के बारे में प्रशासक अथवा निगम द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित है।

(घ) किसी ऐसे समझौते का जो यह उपबंधित करता है कि प्रशासक अथवा निगम को तद्दीन प्रदाय किसी रकम की दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली की जाएगी; और ऐसा

व्यक्ति—

(i) ऋण की अदायगी अथवा उसकी किसी किस्त की अदायगी में व्यक्तिगत करता है; अथवा

(ii) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग के प्रतिदाय के लिए दायी है, ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग अथवा उसकी किसी किस्त के प्रतिदेय में व्यक्तिगत करता है; अथवा

(iii) किसी अन्य प्रकार से समझौते के निबंधनों के अनुपालन में असमर्थ रहता है—

तो प्रशासक की दशा में ऐसा अधिकारी जो इस निमित्त प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया है, निगम अथवा सरकारी कंपनी की दशा में उनका प्रबंध निदेशक अथवा जहाँ प्रबंध निदेशक नहीं है उनका अध्यक्ष, जो भी उसे कहा जाए, और बैंक की दशा में उसका स्थानीय अधिकारी जो भी उसे कहा जाए, जल्दी से जल्दी विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि वर्णित है और यह प्रार्थना है कि ऐसी राशि की वसूली दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जाए, कलक्टर को भेज सकता है।

(2) कलक्टर प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, ऐसी जांच (जिसे वह उचित समझता है) जिसमें प्रभावित पक्षकार की सुनवाई सम्मिलित है करने के पश्चात् प्रमाण पत्र में उल्लिखित राशि को दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के रूप में कार्रवाई करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूली गई कोई राशि सिवाए उस दशा के जब राशि प्रशासक को संदेह है, प्रशासक राशि के ऐसे भाग की जिसे वह संग्रहण की लागत के रूप में समुचित समझता है, कटौती करने के पश्चात् प्रशासक, निगम, सरकारी कंपनी यथास्थिति, बैंक को अदा की जाएगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपरोक्त देय की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा और इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में किए गए अथवा आशयित किसी कार्य के संबंध में सिविल न्यायालय कोई व्यादेश जारी नहीं करेगा।

4. प्रशासक, निगम आदि के हित प्रभावित नहीं होंगे—

(1) धारा 3 की कोई बात—

(क) प्रशासक, निगम या सरकारी कम्पनी या किसी बैंक के किसी संपत्ति में बंधक, भार गिरवी, या किसी विलंगम द्वारा सृजित हित को प्रभावित नहीं करेगी, अथवा

(ख) उस धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति से अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की संधिदा या खंड (क) में निर्दिष्ट समझौते के संबंध में दी गई गारंटी से संबंधित किसी वाद का वर्णन या किसी अन्य अधिकार या उपचार को प्रभावित नहीं करेगी, अथवा

(2) यदि धारा 3 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति प्रशासक निगम सरकारी कंपनी या बैंक के पक्ष में किसी बंधक, भार गिरवी या किसी विलंगम के अधीन है तो

(क) माल गिरवी होने के प्रत्येक मामले में सर्वप्रथम गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसे विक्रय की रकम देय रकम से कम है तो अतिशेष की दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व

के रूप में वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी:

परन्तु यह कि जहाँ कलक्टर की राय में प्रशासक, निगम, सरकारी कंपनी या बैंक, यथास्थिति, को देय रकम की सुरक्षित वसूली के लिए यह आवश्यक है, वह कारणों को लेखबद्ध करके गिरवी रखे हुए माल के विक्रय की कार्रवाई के समय या उससे पूर्व रकम की दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए सीधी कार्रवाई कर सकता है।

(ख) स्थावर संपत्ति पर बंधक, भार या अन्य विलंगम की प्रत्येक दशा में सर्वप्रथम उक्त संपत्ति या यथास्थिति उसमें व्यक्तिगतों के हित के उस व्यक्ति द्वारा देय रकम की दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली के लिए विक्रय के लिए कार्रवाई की जाएगी और यदि कलक्टर यह प्रमाणित करता है कि पहले वर्णित कार्रवाई द्वारा समुचित समय में सम्पूर्ण देय रकम की वसूली की संभावना नहीं है तभी कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

5. अधिनियम कृषक को बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के बारे में देयों की वसूली को विवर्जित नहीं करता—दादरा और नागर हवेली संघ राज्य में यथाविस्तारित इस अधिनियम की कोई बात धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कृषक को बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता या भार की प्रतिभूति या कृषक द्वारा किसी भूमि का या उसे उसके हित का बैंक के पक्ष में किए गए बंधक के बारे में देयों की जहाँ ऐसे देय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन बैंक द्वारा वसूलनीय है, वसूली को विवर्जित नहीं करती।

6. नियम बनाने की शक्ति.—(1) प्रशासक पिछली अधिसूचनाओं की शर्त के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकता है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर विशिष्टियाँ और बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के निम्नलिखित विषयों के सभी अथवा किसी विषय पर ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खंड (घ) के उपखंड (1) के अधीन विहित किए जाने वाला कोई अन्य प्रयोजन।

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भेजे जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाने वाला है या विहित किया जा सकता है।

7. सिविल न्यायालयों के वादों का उपशासन.—धारा 3 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट स्वरूप वाले सभी वाद जो दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र से यथाविस्तारित इस अधिनियम के आरंभ होने से तुरंत पहले किसी सिविल न्यायालय में लंबित है, ऐसे आरंभ पर उपशासित हो जाएंगे किन्तु ऐसा उपशासन, प्रशासक निगम, सरकारी कंपनी या बैंक, यथास्थिति के किसी रकम की जो दादरा और नागर हवेली में यथाविस्तारित इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन वाद की विषयवस्तु है, की वसूली के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

[फा. सं. यू-11015/2/94-यू टी एल]  
पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1998

**G.S.R. 506 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, the Goa, Daman and Diu Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1986 (Goa Act 10 of 1987) as in force in the State of Goa at the date of this Notification subject to the following modifications, namely :—

## MODIFICATIONS

1. In the Goa, Daman and Diu Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1986 unless the context otherwise requires, throughout the Act,—

- (a) For the words "State Government", the words, "Administrator" shall be substituted.
- (b) After the words "in this Act", except in sub-section (1) of Section 1, the words "as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be inserted.
- (c) after the words "arrears of land revenue", the words and figures "under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. of 1971)" shall be inserted.

2. In Section 1,—

- (a) In sub-section (1), after the figures 1986, the words "as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be inserted.
- (b) In sub-section (2), for the words "Goa, Daman and Diu", the words "Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted.
- (c) In sub-section (3), for the words "Government", the word "Administrator" shall be substituted.

3. In Section 2,—

- (a) clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) and before the clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(a)" administrator "means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, appointed by the President under article 239 of the Constitution".

- (b) in clause (g), in explanation, in item (ii), for the word "Government", the word "Administrator" shall be substituted.

- (c) for clause (h) the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) 'Official Gazette' means the Dadra and Nagar Haveli Gazette."

## ANNEXURE

The Goa, Daman and Diu Public Moneys (Recovery of dues) Act, 1986 (Goa Act 10 of 1987) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI

AN

ACT

to provide for the speedy recovery of certain classes of dues payable to the State Government, Financial Corporations and other Corporations owned or controlled by the State Government, Government Companies and nationalised and other Banks.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirty-Seventh year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called the Goa, Daman and Diu Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1986 as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
- (2) It extends to the whole of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
- (3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Administrator" means the administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, appointed by the President under article 239 of the Constitution ;
  - (aa) "Agriculture" includes horticulture, raising of crops, grass or garden produce, animal husbandry, dairy farming, poultry farming and breeding of live-stock ;
- (b) "Bank" means
  - (i) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ;
  - (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 ;
  - (iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 ;
  - (iv) a corresponding new bank constituted, under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ;
  - (v) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulations Act, 1949 ;
  - (vi) any other financial institution notified by the Administrator by a notification in the Official Gazette as a bank for the purposes of this

Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

- (bb) 'Collector' means the Collector of a district and includes any other officer appointed by the administrator to exercise and perform all or any of the powers and functions of a Collector under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.
- (c) "Corporation" means the Financial corporation established or functioning in this Union territory and includes any other Corporation owned or controlled by the Central Government or the Administrator specified by the Administrator by a Notification in the Official Gazette.
- (d) "Financial Assistance" means any kind of financial assistance given :—
- (i) for establishing, expanding, modernising, renovating or running any industrial undertaking ; or
  - (ii) for the purpose of vocational training ; or
  - (iii) for the development of agriculture or agro industry ; or
  - (iv) for the purpose of any kind of planned development recognised by the Administrator ; or
  - (v) for relief against distress caused by fire, or serious drought, flood, or other natural calamities ; or
  - (vi) for the purpose of carrying out any Government sponsored scheme ; or
  - (vii) for any other prescribed purpose ;
- (e) "Government Company" means a Government Company as defined under section 617 of the Companies Act, 1956.
- (f) "Industrial concern" shall have the same meaning as is assigned to that expression in the State Financial Corporation Act, 1951.
- (g) "Industrial undertaking" includes any undertaking for the manufacture, preservation, storage or processing of goods or the generation or distribution of electricity or any other form of energy, or for the development of any contiguous area of land as an industrial estate.

**Explanation :** The expression "processing of goods" includes any act or process for producing, repairing or making an article by subjecting any material to a manual, chemical, electrical or any other like operation ;

- (i) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.
- (ii) "Government sponsored scheme" means a scheme sponsored or adopted by the Administrator or an Officer authorised by it in this behalf for develop-

ment of agriculture or industry and notified as such by the Administrator or the authorised officer, by a notification in the Official Gazette for the purpose of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

- (h) 'Official Gazette' means the Dadra and Nagar Haveli Gazette.

3. recovery of dues as arrears of land revenue under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. 2 of 1971).—

(1) Where any person is a party—

- (a) to any agreement relating to a loan, advance or grant given to him or relating to credit in respect of, or relating to hire purchase of goods sold to him by the Administrator, the Corporation or as the case may be ; the Government Company by way of financial assistance ; or
- (b) to any agreement relating to a loan, advance or grant given to him relating to credit in-respect of, or relating to hire purchase of goods sold to him by a Bank or Government Company, as the case may be under Government sponsored scheme ; or
- (c) to any agreement relating to a guarantee given by the Administrator or the Corporation in respect of a loan raised by an industrial concern ; or
- (d) to any agreement providing that any money payable thereunder to the Administrator or the Corporation shall be recoverable as arrears of land revenue under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. 2 of 1971) ;

and such person—

- (i) makes any default in payment of the loan or advance of any instalment thereof ; or
- (ii) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof, makes any default in the refund of such grant or portion or any instalment thereof, or
- (iii) Otherwise fails to comply with the terms of the agreement—

then, in the case of the Administrator such Officer as may be authorised in that behalf by the Administrator by Notification in the Official Gazette, in the case of a Corporation or a Government Company, the Managing Director thereof or where there is no Managing Director, the Chairman thereof, by whatever name called, and in the case of a Bank, the local agent thereof by whatever name called, may send to the Collector a certificate as early as possible in the prescribed form mentioning the sum due from such person and requesting that such sum may be recovered as if it were an arrear of land revenue under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. 2 of 1971).

(2) The Collector on receiving the certificate shall after making such enquiries (including giving hearing to the party affected) as he deems fit proceed to recover the amount stated therein as aforesaid as arrears of land revenue under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. 2 of 1971).

3. On recovery of any amount under sub-section (2), the same shall be paid over to the Administrator, Corporation, Government Company or as the case may be, bank after deducting, except in the case of amount to be paid to the Administrator, such portion of the amount realised, as cost of collection, as the Collector, may deem to be reasonable.

4. No suit for the recovery of any such due as aforesaid shall lie in a Civil Court against any person referred to in sub-section (1) and no injunction shall be granted by a Civil Court in respect of any action taken or intended to be taken in pursuance of the right conferred by this section.

4. Interest of Administrator, Corporation, etc. not to be affected.—

(1) Nothing in section 3 shall—

- (a) affect any interest of the Administrator, the Corporation or the Government Company or any bank in any property, created by any mortgage, charge, pledge, or other encumbrance ;or
- (b) bar a suit or affect any other right or remedy against any person other than a person referred to in that section, in respect of a contract of indemnity or guarantee entered into in relation to an agreement referred to in clause (a).

(2) Where the property of any person referred in section 3 is subject to any mortgage, charge, pledge, or other encumbrance in favour of the Administrator, the Corporation, a Government Company or a Bank then—

- (a) in every case of a pledge of goods, proceedings shall first be taken for the goods pledged, and if the proceeds of such sale are less than the sum due, then proceedings shall be taken for recovery of the balance as if it were an arrear of land revenue under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. 2 of 1971) :—

Provided that where the Collector is of the opinion that it is necessary so to do for safeguarding the recovery of the sum due to the Administrator, Corporation, Government Company or Bank, as the case may be, he may, for reasons to be recorded direct proceedings to be taken for the recovery of the sum due as if it were an arrear of land revenue under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. 2 of 1971) before or at the same time the proceedings are taken for sale

of the goods pledged.

- (b) in every case of mortgage, charge or other encumbrance of immovable property the said property or as the case may be the interest of the defaulter therein, shall first be sold in proceedings for recovery of the sum due from that person as if it were an arrear of land revenue under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (No. 2 of 1971), and any other proceedings may be taken thereafter only if the Collector certifies that there is no prospect for realisation of the entire sum due through the first mentioned process within reasonable time.

5. Act not to debar recovery of dues in respect of financial assistance given by the bank to agriculturist.—Subject to the provisions of sub-section (3) of section 3, nothing in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall debar the recovery of dues in respect of financial assistance given by a bank to an agriculturist or the security of a charge or mortgage created by the agriculturist on any land or interest therein in favour of the bank, where such dues are recoverable by the Bank under the provisions of any other law for the time being in force.

6. Power to make rules.—(1) The Administrator may, by notification in the Official Gazette and subject to the condition of previous publications, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nahar Haveli.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may be made for all or any of the following matters, namely :—

- (a) any other purpose to be prescribed under sub-clause (vii) of clause (d) of section 2.
- (b) the form of certificate to be sent under sub-section (1) of section 3.
- (c) any other matter which is to be or may be prescribed.

7. Suits in Civil Courts to abate.—All suits of the nature referred to in sub-section (4) of section 3 pending in any Civil Court immediately before the commencement of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, shall abate upon such commencement so however that such abatement shall be without prejudice to the right of the Administrator, Corporation, Government Company or Bank, as the case may be, to recover any sum which may be the subject matter of such suit in accordance with the provisions of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli or any other law for the time being in force.

[F. No. U-11015/2/94-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.